भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1517

सोमवार, 09 फरवरी, 2026 / 20 माघ, 1947 (शक)

आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

†1517. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के आरंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में संख्या कितनी है;

(ख) पीएमवीबीआरवाई के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में अब तक पहली बार नियोजित कर्मचारियों और नियोक्ताओं के रूप में चिह्नित किए गए लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में सृजित रोजगार का क्षेत्र-वार, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में, ब्यौरा क्या है;

(घ) योजना के भाग क (पहली बार नियोजित कर्मचारी) और भाग ख (नियोक्ता) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में संवितरित या संवितरित की जाने वाली कुल प्रोत्साहन राशि कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने पीएमवीबीआरवाई के अंतर्गत 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 की अवधि के लिए रोजगार सृजन हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में नियोक्ताओं और नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों के बीच पीएमवीबीआरवाई लाभों के बारे में जागरूकता, पंजीकरण और प्रभावी उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 1 जुलाई 2025 को 'रोजगार आधारित प्रोत्साहन' (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी जिसे 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना' (पीएमवीबीआरवाई) का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए एमएसएमई और ग्रामीण उद्यमों सहित सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। यह योजना दिनांक 15 अगस्त 2025 को शुरू की गई थी। इस योजना की पंजीकरण अवधि दिनांक 01.08.2025 से दिनांक 31.07.2027 तक दो वर्ष की है और इसका बजटीय परिव्यय 99,446 करोड़ रूपये है।

जारी.. 2/-

इस योजना का लक्ष्य आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

यह योजना दो भागों, अर्थात भाग 'क' और भाग 'ख' में विभाजित है और प्रोत्साहन के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। यह योजना भाग 'क' के अंतर्गत 1.92 करोड़ नए पात्र कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान करती है। योजना के भाग 'ख' के तहत नियोक्ताओं के लिए लगभग 2.59 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों के सृजन हेतु प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

इस योजना और इसके उपबंधों को देश भर में व्यापक आउटरीच प्रयासों के माध्यम से प्रसारित किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्यों के श्रम और उद्योग मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से और ईपीएफओ, ईएसआईसी और सीएलसी अधिकारियों की 'स्टेट क्रॉस-फंक्शनल टीमें' गठित करके राज्य-स्तरीय आउटरीच को प्राथमिकता दी है। ये टीमें कार्यशालाएं, वेबिनार और हितधारक बैठकें आयोजित कर रही हैं, और जमीनी स्तर पर जागरूकता और भागीदारी को मजबूत करने के लिए राज्य अधिकारियों और उद्योग जगत के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं।

योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और लाभार्थियों तथा क्षेत्र-वार प्रगति की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल (pmbry.epfindia.gov.in) विकसित किया गया है।

बेहतर समझ और सुगमता के लिए इस पोर्टल पर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी), योजना के दिशा-निर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) उपलब्ध कराए गए हैं।

दिनांक 31.01.2026 तक, इस योजना के तहत कुल 4.39 लाख प्रतिष्ठान पंजीकृत हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में, इस योजना के अंतर्गत कुल 11,219 प्रतिष्ठान पंजीकृत हुए हैं। दिनांक 31.01.2026 तक पीएमवीबीआरवाई के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या अनुबंध-1 में दी गई है।

* *********

अनुबंध-I

'आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' के संबंध में श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालू और श्री बी. के. पार्थसारथी द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1517 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य /संघ राज्यक्षेत्र	पीएमवीबीआरवाई के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या (दिनांक 31.01.2026 तक)
अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह	293
आंध्र प्रदेश	11219
अरुणाचल प्रदेश	252
असम	4737
बिहार	4757
चंडीगढ़	1387
छत्तीसगढ़	7243
दादरा और नगर हवेली	1026
दमन और दीव	627
दिल्ली	20849
गोवा	2481
गुजरात	37155
हरियाणा	21097
हिमाचल प्रदेश	5637
जम्मू और कश्मीर	2225
झारखंड	5590
कर्नाटक	40565
केरल	12513
लद्दाख	57
लक्षद्वीप	4
मध्य प्रदेश	14037
महाराष्ट्र	70200
मणिपुर	353
मेघालय	256
मिजोरम	74
नागालैंड	144
ओडिशा	11240
पुदुचेरी	1154
पंजाब	13064
राजस्थान	19937
सिक्किम	290
तमिलनाडु	45985
तेलंगाना	19833
त्रिपुरा	434
उत्तर प्रदेश	30154
उत्तराखंड	5868
पश्चिम बंगाल	26765
कुल	**4,39,502**

******